न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व विविध : 36/2023
GCMS Case No. : 2023/43

प्रार्थी –	**बनाम**	**अप्रार्थी –**
तहसीलदार रानी जिला पाली		रूपाराम पुत्र भूराराम जाति भांबी निवासी खौड़ तहसील रानी जिला पाली

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन) नियम, 1970"

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 19/11/2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत भू. आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर उपखण्ड अधिकारी पाली के आदेश दिनांक 20.04.1976 के द्वारा अप्रार्थी रूपाराम के पक्ष में ग्राम खौड के खसरा संख्या 291 रकबा 2.2813 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम को निरस्त कराने बाबत् पेश किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से सरकारी पैरोकार की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

सरकारी पैरोकार ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा खौड़ के खसरा संख्या 291 रकबा 2.2813 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 20.04.1976 को अप्रार्थी को आवंटित की गई थी। आवंटी वर्तमान में राजस्व रेकर्ड अनुसार गैर खातेदार दर्ज है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में भी स्पष्ट किया कि आवंटी का आवंटन से आदिनांक तक मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है और आवंटी का व्यवसाय कृषि या सह कृशि नहीं है। आवंटी ने वक्त आवंटन गलत तथ्य आवंटन कमेटी के समक्ष पेश कर अपीलाधीन आदेश पारित करवाया। वर्तमान में आंवटी ने आवंटन नियमों एवं शर्तों की पालना नहीं की है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाते हुये विधिविरूद्ध तरीके से पारित जैर आवंटन आदेश को निरस्त फरमावे।

हमने सरकारी पैरोकार की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। जैर प्रार्थना–पत्र उपखण्ड अधिकारी पाली द्वारा अप्रार्थी रूपाराम के पक्ष में ग्राम खौड के खसरा संख्या 291 रकबा 2.2813 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम कि आवंटित भूमि को

अति. जिला कलेक्टर, पाली

निरस्त कराने बाबत् पेश किया है। प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया जैर आराजी पर अप्रार्थी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी न्यायालय हाजा में पेशी दिनांक 16.04.2025 को उपस्थित होकर कथन किया कि जैर आराजी मेरा कभी भी कब्जा नहीं रहा और न ही उक्त भूमि पर मेरा कभी काश्त रहा है। प्रकरण में अप्रार्थी स्वयं की यह स्वीकारोक्ति है कि उक्त भूमि पर मेरा कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा तो ऐसी स्थिति में किसी अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नहीं रह जाती। साथ ही पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में भी यह अंकित किया कि मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है। ग्राम खौड़ तहसील रानी की जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के अनुसार खसरा संख्या 291 में अप्रार्थी रूपाराम बतौर गैर खातेदार दर्ज है। भू. आवंटन की शर्तों के अनुसार भू. आवंटन गैरखातेदारी काश्त पर होगा लेकिन भूआवंटन नियमों का पालन करने पर 10 साल बाद खातेदारी हक प्राप्त हो सकेगें। जब तक खातेदारी हक प्राप्त नहीं होते है आवंटित को राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 के अन्तर्गत गैरखातेदार के हक व अधिकार प्राप्त होगे लेकिन उक्त प्रकरण में आवंटी स्वयं की यह स्वीकारोक्ति है कि मौके पर उसका कभी भी कब्जा नहीं रहा, आवंटी ने राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 की अवहेलना की है अर्थात् आवंटन नियमों की मूल शर्तों की अवहेलना की है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 13 (3–क) के अनुसार सलाहकार समिति की बैठक के लिए न्यूनतम कोरम तीन सदस्य होगा परन्तु हस्तगत प्रकरण में आवंटन आदेश पर केवल उपखण्ड अधिकारी पाली के ही हस्ताक्षर है, किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है अर्थात् आवंटन कमेटी ने बिना किसी कोरम के जैर आवंटन ओदश पारित किया है। आवंटन आदेश पर सभी हस्ताक्षर नियम 13 के उप–नियम 1 के अनुसार गठित सलाहकार समिति के सदस्यों के अनुरूप नहीं है। यदि किसी आवंटन कमेटी द्वारा पारित आदेश के समय कम से कम आवश्यक सदस्य उपस्थित नहीं होते, तो वह निर्णय अवैध और निरस्त योग्य होता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त AIR 2008 Raj 123 State of Rajasthan vs Bharat Lal में यह अंकित किया कि कोरम पूरा न होने पर समिति का निर्णय अमान्य होगा। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त AIR 2004 Raj 123 Bhanwar Lal vs State of Rajasthan के अनुसार सिवायचक भूमि के आवंटन में यदि समिति के न्यूनतम सदस्यों की सहमति या हस्ताक्षर नहीं होते हैं, तो ऐसा आवंटन प्रक्रिया दोषपूर्ण और अवैध मानी जाती है। साथ ही अप्रार्थी स्वयं ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर कथन किया कि मौके पर उनका कभी भी कब्जा नहीं रहा और न ही उनके द्वारा काश्त की है, इसलिये उनका आवंटन यदि खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी की स्वीकारोक्ति से यह स्पष्ट है कि उक्त आवंटन के पश्चात् आवंटी ने राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 में वर्णित नियमों की पालना नहीं की है। स्पष्टतया यह प्रकरण विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध है तथा जैर आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने का प्राथमिक आधार है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन) नियम, 1970 स्वीकार किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी, पाली द्वारा अप्रार्थी रूपाराम के पक्ष में किये गये ग्राम खौड के खसरा संख्या 291 रकबा 2.2813 हैक्टेयर के भूमि आवंटन आदेश को निरस्त

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

किया जाता है। तहसीलदार रानी प्रश्नगत आराजी का कब्जा बहक राज प्राप्त कर राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज कर पालना प्रस्तुत करें। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 19/11/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली